जो लोग यह सब न करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाये जायें उनके खिलाफ समय-समय पर कार्यवाही की जायें। माननीय माथुर जी ने आज जो उपभोक्ता वस्तुएं सही रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, सही कीमत में नहीं मिल पा रही हैं, सही समय में नहीं मिल पा रही हैं, उन्हीं की तरफ बहुत गम्भीरता से अपने अशासकीय प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से यह अपेक्षा की है कि सरकार निश्चित रूप में उपभोक्ताओं की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कदम उठाये। यद्यपि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत चिंतित है, सजग है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से विशेष रूप से हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरसिंह राव की विशेष रूचि की वजह से केन्द्रीय सरकार के स्तर से उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाये गये। इसके लिए एक हाई लेविल कमेटी बनायी गयी—कैबिनेट कमेटी आन प्राइसेज और उसके साथ-साथ ही एक मानीटरिंग कमेटी भी बनायी गयी जो इस बात का ब्यौरा इकट्ठा करे कि कंज्यूमर को जो रोज, जो प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उन्हें मिल पा रही हैं कि नहीं, विशेष रूप से उस वर्ग को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला तबका है जो बिलो पावर्टी लाइन रहने वाला वर्ग है और विशेष रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के और सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उनको ये चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं कि नहीं इसके लिए उन्होंने एक मानीटरिंग कमेटी बनायी है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यद्यपि बहुत सारे आइटम्स हैं जो इसेंशियल कमोडिटीज में आते है—मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्री के अंतर्गत भी वे आते हैं, जैसे 447 आइटम्स हैं जो इसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं लेकिन इनमें केवल 29 आइटम्स ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री आफ सिविल सप्लाइज के अंतर्गत आते हैं, यद्यपि हमारा जो कार्य का विभाजन है, जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गयी है विभिन्न विभागों के अंतर्गत वह भी अलग-अलग ढंग से है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमने टारगेट फिक्स किया है वह पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं 447, जिनका मैंने उल्लेख किया वे सारी इसेंशियल कमोडिटीज एक ही विभाग के अंतर्गत आनी चाहिएं या उनकी मानीटरिंग की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ही विभाग उनकी मानीटरिंग करे वरना स्थिति क्या है ? कुछ आइटम्स मिनिस्ट्री आफ सिविल सप्लाइज के अंतर्गत आ जाते हैं, कुछ आइटम्स मिनिस्ट्री आफ फूड्स के अंतर्गत आ जाते हैं, कुछ आइटम्स मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे केरोसिन की कमी का जब आप विशेष रूप से गांवों में उल्लेख करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम का मामला है। ये जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो फोरम्स डिस्ट्रिक्ट, डिवीजनल और स्टेट लेविल पर हैं जब उनसे ये सारी बातें उठती हैं तो उनमें इस बात का उल्लेख किया जाता है। एक फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट की जब बात आती है तो उसमें फूड इन्स्पेक्टर्स और फूड आफिसर्स एक चीज का नियंत्रण करते हैं तो दूसरी चीज का नियंत्रण जैसे केरोसिन आदि के डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात आती है तो वह सीधा कलेक्टर के अंडर आता है। जब कलेक्टर से यह बात होती है कि आम इन्सान को और विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, निर्धन वर्ग के लोगों को जो कि बहुत दूर रहवास कर रहे हैं, गांवों में, खेड़ों में, जंगलों में, उनके दैनिक उपयोग के लिए केरोसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो वह कह देते हैं कि यह तो हमारे अंतर्गत नहीं आता है। केरोसिन का जो अलाटमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो नियन्त्रण है वह किसी और के माध्यम से होता है। वही बात जब गेहूं के बारे में आती है, जब शक्कर के बारे में आती है, जब चावल के बारे में आती है तो... **(व्यवधान)**

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Pachouri, the time of the Private Members' Bill is over. We will take up other Legislative Business. You will continue when the House takes up this subject again.

Now, we take up the Government Legislative Business.

THE MANIPUR PANCHAYATI RAJ BILL, 1994

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : Sir, I beg to move :

That the Bill to provide for the constitution and organisation of Panchayats as units of local self-Government in the rural areas of Manipur and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I want to draw the attention of the House to Clauses 97 and 98 of the Bill which should have been printed in thick bold print type but inadvertently could not be printed as such.

The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 came into force on 24-4-1993. It stipulates that the law relating to Panchayats in force in States immediately before the commencement of the Seventy-third Amendment which is inconsistent with the privisions in these amendments shall continue to be in force until amended or repealed by the State legislature or other competent authority or until expiration of one year from such commencement, whichever is earlier. Therefore, the States are required to either amend their existing Panchayati Raj Act or to bring in a fresh legislation after repealing the existing one so as to conform to theprovisions contained in the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, and this task has to be accomplished by 23-4-1994 at the latest.

Like all other States and Union Territories, the State of Manipur too has to conform to these constitutional provisions. However, the State of Manipur has been brought under President's rule with effect from 31-12-1993. As per the notification under article 356 of the Constitution, the power of legislature now vests in Parliament as far as Manipur is concerned. Therefore, the Panchayati Raj legislation which is proposed to be brought in order to conform to the Seventy-third Amendment of the Constitution, has to be introduced in the Parliament for passage and after that it would come into effect only after President is pleased to accord his assent to the Bill.

The subject of Panchayati Raj is being dealt with in the Ministry of Rural Development and, therefore, necessary action for initiating the fresh Manipur Panchayati Raj Bill has been initiated by this Ministry.

The Bill has been passed by the Lok Sabha today.

The Cabinet has decided to repeal the Manipur Panchayati Raj Act, 1975 which is at present in force in the State and replace the same by introducing a new Bill, namely the Manipur Panchayati Raj Bill, 1994 so that the constitutional obligations are fulfilled. As article 243 (2)(b) stipulates, the provisions contained in Part IX of the Constitution which related to Panchayat, are not applicable to the hill areas of Manipur for which a District Council exists. Therefore, the proposed Manipur Panchayati Raj Bill would be applicable to three valley districts of Manipur namely, Imphal, Bishnupur and Thoubal.

The Bill envisages establishment of a new 2-tier Panchayat system in the State based on the population as ascertained in the last census the figures of which have been pubilshed. It envisages elected bodies at Gram Panchayat and district levels. It provides for reservation of seats in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in proportion to their population and also for reservation of one-third of seats for women at all levels. This Bill further provides for reservation of offices of chairperson at all levels in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and women. The Bill contains provision regarding constitution of a State Election Commission, a State Finance Commission and a District Planning Committee. The Bill thus provides for all mandatory provisions contained in Part IX of the Constitution. Since the constitution of each of the two new Commissions namely, the State Finance Commission and the State Election Commission would result in a recurring expenditure of Rs. 6.60 lakhs per annum and a non-recurring expenditure of Rs. 6.24 lakhs, a Financial Memorandum has been given alongwith the proposed Bill.

Therefore, I beg to move that the Manipur Panchayati Raj Bill, 1994 be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 109 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAMESHWAR THAKUR : Sir, I move :

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS—Contd.

Atrocities committed on Secretary (Food) and wrongful confinement of his son by the Police

श्री इकबाल सिंह : चेअरमेन साहब, मैं अपने स्पेशल मैंशन द्वारा पुलिस व्यवहार को सदन के सामने ला रहा हूं । पुलिस संगठन देश की रक्षा के लिए होता है, लोगों की रक्षा के लिए होता है, इसलिए होता है कि जो दुखी लोग हैं वह पुलिस के पास जाएं तो वहां उनके दुख बांटे जाएं । दिल्ली राज्य की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, यह देखने में आता है, ऐसे-ऐसे केस हैं, जहां जो बहुत जरूरतमंद लोग रहे है उनकी रक्षा की है, आज ही मैं एक केस पढ़ रहा था आस्ट्रेलिया की युवती का, पुलिस ने अच्छे ढंग से कर्तव्य